भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1972

11.03.2025 को उत्तर के लिए नियत

पंजाब में ट्रैक्टर और कृषि उपकरण विनिर्माण उद्योग

1972. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पंजाब में ट्रैक्टर और कृषि उपकरण विनिर्माण उद्योग को सहायता देने और इसे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या ट्रैक्टर और कृषि उपकरण निर्यात करने वाले विनिर्माताओं को, विशेषकर से अफ्रीका और अन्य बाजारों हेतु निर्यात के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन या लाभ प्रदान किए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) कोई विशेष लाभ प्रदान न किए जाने की दशा में, निर्यात को प्रोत्साहित करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के किन-किन उपायों पर विचार किया जा रहा है;
(घ) पंजाब में ट्रैक्टर और उपकरणों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए अवसंरचना और संभार तंत्र में सुधार हेतु क्या पहल की जा रही है; और
(ङ) विदेश में विविध कृषि प्रथाओं के लिए उपयुक्त उत्पादों को ध्यान में रखते हुए क्या पंजाब में ट्रैक्टर और कृषि उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यनीति है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ङ) : चूंकि उद्योग राज्य का विषय है, अतः भारी उद्योग मंत्रालय पंजाब सहित देश के किसी भी हिस्से में उद्योगों की स्थापना से संबंधित आंकड़े नहीं रखता। किंतु, भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग विषयक उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई-ऑटो) स्कीम को 23 सितंबर,2024 को अधिसूचित किया है जिसका पांच वर्ष के लिए बजटीय परिव्यय 25,938 करोड़ रुपए है ताकि उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के विनिर्माण के मामले में भारत की क्षमता बढ़े। इस स्कीम में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत ट्रैकटरों के लिए सहायता उपलब्ध है। इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास तथा उत्पाद डिज़ाइन और विकास पर किए गए व्यय को पीएलआई-ऑटो के अंतर्गत पात्र निवेश के अंग के रूप में माने जाने की अनुमति है।

*****